कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर।

पत्रांकः–बेसिक–निलम्बन/19753-56 /2021–22 दिनांकः– 16-11-2021

–: निलम्बन आदेश :–

सूच्य है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी, वि0ख0–बेहटा, जनपद–सीतापुर के पत्रांकः–बी0आर0सी0/292/2020–21 दिनांक 01–11–2021 द्वारा आख्या प्रेषित करते हुए निम्नवत् उल्लेख किया गया है :–

".....अधोहस्ताक्षरी द्वारा सामान्य प्रकिया के तहत अनुपस्थिति के कम में चाहे गये स्पष्टीकरण में श्री नित्यानन्द, स0अ0, प्रा0वि0 दतूनी के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में घोर अशिष्टता, अनुशासनहीनता, मनमाना व्यवहार एवं उदण्डता की पराकाष्ठा के साथ कार्मिक आचरण नियमावली/शिक्षक आचरण नियमावली का घोर उल्लंघन किया गया है। जो निम्नवत् है–

1– कार्मिक आचरण नियमावली 1956 के नियम 6(2) का उल्लंघन करना।
2– कार्मिक आचरण नियमावली 1956 के नियम 7(1) का उल्लंघन करना।
3– कार्मिक आचरण नियमावली 1956 के नियम 9 का उल्लंघन करना।
4– सम्बन्धित द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में मा0 जनप्रतिनिधि जनों की, आदरणीय अधिकारियों की छवि को धूमिल करने का प्रयास करना।
5– प्रशासनिक दायित्वों एवं विभागीय कार्यों में बाधक बनना।
6– शैक्षणिक कार्यो में रूचि न लेना।

उक्त अध्यापक के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में न केवल विभागीय अधिकारियों के प्रति विद्वेषपूर्ण भावना एवं पद की गरिमा का हनन करने का प्रयास किया गया बल्कि स्पष्टीकरण के रूप में लिखे गये पत्र को विभिन्न समाचारपत्रों एवं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर अनाधिकृत रूप से वायरल करके विभागीय पत्रों की गोपनीयता एवं उच्च अधिकारियों की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास किया गया।

अतः श्री नित्यानन्द स0अ0 प्रा0वि0 दतूनी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये इनके विरूद्ध नियमानुसार कठोरतम् कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।"

अतः खण्ड शिक्षा अधिकारी की उक्त आख्या व संस्तुति के कम में श्री नित्यानन्द, स0अ0, प्रा0वि0 दतूनी, वि0ख0–~~रेउसा~~ बेहटा, जनपद–सीतापुर को प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के कारण निम्नांकित आरोपों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है :–

–: आरोप :–

01:– सामान्य प्रकियान्तर्गत अनुपस्थिति के कम में चाहे गये स्पष्टीकरण में घोर अशिष्टता, अनुशासनहीनता, मनमाने व्यवहार व उदण्डता की पराकाष्ठा के साथ कार्मिक आचरण नियमावली/शिक्षक आचरण नियमावली का घोर उल्लंघन किया जाना।
02:– कार्मिक आचरण नियमावली 1956 के नियम 6(2) का उल्लंघन करना।
03:– कार्मिक आचरण नियमावली 1956 के नियम 7(1) का उल्लंघन करना।
04:– कार्मिक आचरण नियमावली 1956 के नियम 9 का उल्लंघन करना।
05:– दिये गये स्पष्टीकरण में माननीय जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की छवि को धूमिल करने का प्रयास करना।
06:– प्रशासनिक दायित्वों एवं विभागीय कार्यों में बाधक बनना।
07:– शैक्षणिक कार्यो में रूचि न लेना।
08:– स्पष्टीकरण के रूप में लिखे गये पत्र को विभिन्न समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर अनाधिकृत रूप से वायरल करके विभागीय पत्रों की गोपनीयता एवं उच्चाधिकारियों की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास करना।
09:– विभागीय आदेशों व निर्देशों की अवहेलना करते हुए स्वेच्छाचारिता का आचरण अपनाया जाना।
10:– निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 में निहित प्राविधानों का घोर उल्लंघन किया जाना।

निलम्बन की अवधि में सम्बन्धित शिक्षक को वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड–2 भाग–2 के मूल नियम–53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा। सन्दर्भित निलम्बन प्रकरण का जांच अधिकारी श्री रमाकान्त मौर्य, खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद मुख्यालय, सीतापुर को नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आरोपी शिक्षक को अवसर देते हुए प्रकरण की जांच करें तथा आख्या साक्ष्यों व संस्तुति के साथ तत्काल इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायें। निलम्बन की अवधि में श्री नित्यानन्द ब्लाक संसाधन केन्द्र रामपुर मथुरा, जनपद–सीतापुर में अपनी दैनिक उपस्थिति देते रहेंगे।

(अजीत कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सीतापुर।

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

01:– वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, सीतापुर।
02:– खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड बेहटा तथा रामपुर मथुरा, जनपद–सीतापुर।
03:– श्री रमाकान्त मौर्य, खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद मुख्यालय, सीतापुर।
04:– सम्बन्धित शिक्षक को खण्ड शिक्षा अधिकारी, वि0ख0–बेहटा के माध्यम से सूचनार्थ।

16.11.2021

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सीतापुर।

उत्तर प्रदेश सेवक आचरण नियमावली 1956

नियम 9- सूचना का अनधिकृत संचार कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार या उसको सौपें गये कर्तव्यों का सद्भाव के साथ पालन करते हुए, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई सरकारी लेख या सूचना किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसा लेख या सूचना देने या संचार करने का उसे अधिकार न हो, न देगा और न संचार करेगा।

स्पष्टीकरण- किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिए गए अभ्यावेदन में किसी पत्रावली की टिप्पणियों का या टिप्पणियों में से उद्धरण देना इस नियम के अर्थ के अर्न्तगत सूचना का अनधिकृत संचार माना जायेगा।

नियम 7- सरकार की आलोचना

कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या गुमनाम से या स्वंय अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी लेख में या समाचार पत्रों को भेजे गये पत्र में, या किसी सार्वजनिक कथन में, कोई ऐसे तथ्य की बात या मत व्यक्त नहीं करेगा -

1- जिसका प्रभाव यह हो कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के किसी निर्णय की प्रतिकूल आलोचना हो,या उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी चालू या हाल की नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो, या

2- जिससे उत्तर प्रदेश सरकारऔर केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो, या

3- जिससे केन्द्रीय सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम में दी हुई कोई भी बात् किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्त किए गए किसी ऐसे कथन या विचारों के सम्बन्ध में लागू न होगी, जिन्हे उसने अपने सरकारी पद की हैसियत से या उसे सौपे गये कर्तव्यों के यथोचित पालन में व्यक्त किया हो।

नियम 6- समाचार पत्रों अथवा रेडियो से सम्बन्ध रखना- (1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी समाचार पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन का, पूर्णत: या अंशत:, स्वामी नहीं होगा, न उसका संचालन करेगा, न उसके सम्पादन या प्रबंधन में भाग लेगा।

(2)कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो अथवा जब वह अपने कर्तव्यों का सद्भाव से निर्वहन कर रहा हो, किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार पत्र या पत्रिका को लेख नहीं भेजेगा और गुमनाम से, अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में, किसी समाचार पत्र या पत्रिका को कोई पत्र नही लिखेगा :

(3) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा में जबकि ऐसे प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक हो, किसी ऐसे स्वीकृति पत्र के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।